

राष्ट्रीय फ़िल्म विकास निगम के संबंध में प्राधिकार – पत्र (आई पी ॥)

प्राधिकार-पत्र (निर्माताओं और कॉपी राईट धारक/ नेगेटिव के स्वामी द्वारा हस्ताक्षरित)

विषय : फिल्म का शीर्षक

महोदय,

हम एतद द्वारा आपको उपरोक्त फ़िल्म की 35 एम एम की एक रंगीन फ़िल्म या सादी पॉज़िटिव प्रिन्ट/डी सी पी- अनएन्क्रिप्टिड/ ब्लू रे (रीजन फ्री पीएएल) तैयार करने तथा उसे प्रभारी परिरक्षण एवं अभिलेख हेतु राष्ट्रीय फ़िल्म विकास निगम, दिल्ली को भेजने का प्राधिकार देते हैं प्रिंट / डीसीपी / ब्लूरे (रीजन फ्री पीएएल) का इस्तेमाल फिल्म त्योहारों, फ़िल्म सप्ताहों और भारत और विदेशों में अन्य गैर-वाणिज्यिक स्क्रीनिंग में भागीदारी के लिए राष्ट्रीय फ़िल्म विकास निगम द्वारा किया जाएगा। मैं यह भी मानता हूँ कि राष्ट्रीय फ़िल्म विकास निगम के पास गैर-वाणिज्यिक समारोह स्क्रीनिंग उद्देश्यों के अधिकार हैं, भले ही अधोहस्ताक्षरी हस्ताक्षरित या किसी भी संगठन / एजेंसी को क्षेत्रीय अधिकारों पर हस्ताक्षर या बिक्री करें।

वांछित प्रारूप में फ़िल्म कि प्रति बनाने के लिए आवश्यक व्यवस्था राष्ट्रीय फ़िल्म विकास निगम द्वारा की जाएगी। राष्ट्रीय फ़िल्म विकास निगम द्वारा निर्माता/कॉपी राईट धारक के साथ सीधे प्रक्रिया शुल्क का निपटान किया जाएगा।

(हस्ताक्षर)
अधिकार धारक

(हस्ताक्षर)
निर्माण से प्राधिकृत हस्ताक्षरकर्ता

मुहर
दिनांक

मुहर
दिनांक

नोट: 35 मिमी फ़िल्म प्रारूप के मामले में प्रिंट बनाने के लिए निर्माता / नेगेटिव के स्वामी द्वारा प्रयोगशाला को आवश्यक अनुमति निर्देश दिया जाना चाहिए।

